(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी निग – 885 – III/16

हरूआ पुत्र श्री गोकलिया जाटव
निवासी–बूधोनराजापुर तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

...... अनावेदक

14-3-16

14-3-16

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2014–15 स्व0 निग0 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

14/03/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बूधोनराजापुर में स्थित भूमि सर्वे नं. 52 रकवा 4.97 है0 पूर्व में हरिजन सामूहिक कृषि संस्था के नाम पर दर्ज थी। खसरा वर्ष 1989–90 में हरिजन सामूहिक कृषि संस्था के नाम से दर्ज प्रविष्टी निरस्त करते हुये पूर्वानुसार काबिल कास्त दर्ज हुयी इसके पश्चात् वर्ष 1989 में हरूआ पुत्र गोकलिया का उक्त भूमि पर अतिक्रमण कॉलम नं. 12 में दर्ज रहा। इसके पश्चात् वर्ष 1995 में हरूआ को तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से सर्वे नं. 52/1/2 रकवा 1.140 है0 का भूमि स्वामी अधिकारो का पट्टा जारी किया गया।

2– यहकि, आवेदक के हित में जारी किये गये पट्टे के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आवंटन आदेश अपने आदेश में अंतिम हो गया है।

3– यहकि, भगवती पत्नी दयाराम विश्वकर्मा ग्राम कुटावली की ओर से एक आवेदन पत्र तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम बूधोनराजापुर में स्थित शासकीय भूमि नं. 52 पर हरूआ पुत्र गोकलिया को फर्जी भूमि स्वामी बनाकर उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र कराकर पेट्रोल पम्प प्राप्त करने की साजिश की जा रही है। उक्त आवेदन के आधार पर तहसीलदार खनियाधाना द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं अपना एक

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./885/तीन/2016 जिला शिवपुरी

हरुआ विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 01/2014-15/स्व0 निग0 में पारित आदेश दिनांक 09/12/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 9/08/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	